

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
इहकाम  
की तामी

हुक्म पत्र अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार  
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। फत्रावली फैसला शुमार न. से कम होना चाहिए  
दाखिल दफ्तर हो।

१९